जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 17 संख्याः 354 प्रभात चूरू, बुधवार 22 अप्रैल, 2026 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

प्रशांत किशोर की पुरानी कंपनी आई-पैक पर छापा पड़ने से हिल गए ममता बनर्जी व स्टालिन

दोनों पार्टियाँ, यह ही कहने में जुटी हैं कि छापा पड़ने व कुछ उच्चाधिकारियों की गिरफ्तारी के बाद भी चुनाव अभियान पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, चुनाव अभियान पहले जैसे यथावत चल रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21अप्रैल। आई-पैक पर बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच, तृणमूल और डीएमके (द्रमुक) दोनों, अपने चुनाव अभियानों को किसी भी व्यवधान से सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। यह कंसल्टेंसी फर्म, जो कभी उच्च-दांव वाले चुनावी रणनीति में केन्द्रीय भूमिका निभाती थी, अब जांच के दायरे में है, जिससे दोनों पार्टियों ने सोच समझकर नियमित बदलाव किए और इन हाउस सिस्टम को प्रचार के लिए चुना है।

दोनों पार्टियों का जोर अभियान की निरंतरता पर है और नेताओं ने स्पष्ट किया है कि अंतिम चरण में अभियान की गति कम नहीं होने दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में, तृणमूल की आई-पैक पर निर्भरता 2021 विधानसभा चुनावों के बाद से लगातार समायोजित की जा रही है, जब प्रशांत किशोर के नेतृत्व में इस फर्म ने संदेश और अभियान संरचना पर लगभग पूरी तरह से नियंत्रण रखा था। इसके बाद, अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में पार्टी ने आंतरिक टीमों का निर्माण किया, जो अब डेटा, बूथ प्रबंधन और मतदाता संपर्क संभालती हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- प्रशांत किशोर, एक बार तो चुनाव रणनीतिकार के रूप में आधुनिक अवतार के रूप में उभरे थे तथा कांग्रेस व भाजपा से भी लंबी-लंबी बाते हुई थी, पार्टी का संगठन और सोच प्रशांत किशोर को सौंपने के बारे में। कांग्रेस व भाजपा दोनों पार्टियों ने उनके इस चमत्कारी ''प्लान'' को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। पर, तृणमूल और डीएमके ने उनका प्लान स्वीकार किया और काफी कुछ प्रशांत किशोर पर निर्भर हो गए थे।
- प्रशांत किशोर ने अधिकृत रूप से आई-पैक से अपने आप को अलग करके सीधे चुनाव व ग्रास रूस स्तर से राजनीतिक गतिविधि शुरु की तथा जन स्वराज पार्टी नाम से पार्टी बना कर बिहार के चुनाव में कूदे। परन्तु, उन्हें करारी हार मिली, एक भी सीट नहीं जीते, बिहार के चुनाव में।
- पर, उनके द्वारा शुरु की गई संस्था आई-पैक, बंगाल व तमिलनाडु में खूब फली-फूली। दोनों राज्यों में उनका प्रभुत्व, सिक्का, ममता बनर्जी व स्टालिन ने स्वीकार किया तथा आई-पैक पर उनकी निर्भरता पूर्ण थी। पर, अब दोनों नेता यह कहने में जुटे हैं कि आई-पैक का रोल केवल साथ देने तक सीमित था।

सीवर में सफाई कर्मचारियों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने जवाब मांगा

जयपुर, 21 अप्रैल। राज्य मानवाधिकार आयोग ने झोटवाड़ा इलाके में सीवरेज में सफाई के लिए उतरे दो सफाई कर्मचारियों की मौत के मामले में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर, निगम आयुक्त, झोटवाड़ा जोन उपायुक्त और सामाजिक न्याय निदेशक से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है।

इसके साथ ही, आयोग ने कहा कि दोषी फर्म के अधिकारियों और निगम के जिम्मेदार अफसरों पर उचित कार्रवाई करते हुए मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में सीवर में सफाई के लिए कर्मचारियों को नहीं उतारा जाए व इस संबंध में सार्वजनिक सूचना भी जारी की जाए।

- आयोग ने दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही तथा मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने को कहा।

आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने यह आदेश प्रकरण में स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लेते हुए दिए। आयोग ने अपने आदेश में कहा कि ऐसी घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही निर्देश दे चुका है। सफाई कर्मचारियों को गैस से भरे सीवर में उतारना, स्वयं में मानव वध के समान गंभीर प्रकृति का कृत्य है।

नुकसान सीमित क्षेत्र में रहा, मरम्मत कर रिफायनरी शीघ्र शुरु कर लेंगे- भजनलाल

मुख्यमंत्री ने रिफायनरी के निरीक्षण के बाद कहा कि एचपीसीएल के अधिकारियों को मशीनें ठीक करने में पूरा सहयोग देंगे

जयपुर, 21 अप्रैल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज बाड़मेर जिले के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का दौरा कर हाल ही में हुई घटना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने रिफाइनरी परिसर का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक भी की।

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने आग पर तत्परता से काबू करने वाले अग्निशमन कर्मियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों से मुलाकात कर उनकी सराहना की। उन्होंने सुरक्षा मानकों की पुनः समीक्षा कर उन्हें और सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को पचपदरा स्थित रिफाइनरी का अग्निकांड के बाद निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ हादसे को लेकर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने रिफाइनरी परिसर में हुई घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मोदी ''सैंटर पीस'' बन गए हैं, असम, बंगाल व तमिलनाडु के चुनाव प्रचार में

इन राज्यों में गैर भाजपा दल प्रधानमंत्री मोदी पर कई आरोप लगा रहे हैं और भाजपा इन आरोपों को देश की जनता का अपमान बता रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21अप्रैल। असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों के प्रचार के दौरान एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ विपक्षी नेताओं द्वारा कथित या वास्तविक ''अपमान'' के विरोध में अभियान चलाने की कोशिश भाजपा द्वारा की जा रही है।

पिछले महीने, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कथित रूप से ''सबसे बड़ा घुसपैठिया'' बताया, जिससे विवाद बढ़ गया। तमिलनाडु में, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी को कथित रूप से ''आतंकवादी'' कहकर भाजपा में उफान ला दिया, और भाजपा ने माँग की कि खड़गे राष्ट्र से माफी माँगें। इससे पहले, बिहार में भाजपा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत माँ हीराबेन के खिलाफ विपक्षी मंच से की गई अपमानजनक टिप्पणियों को लेकर बहुत आक्रोश में थे। इन विवादों की एक आम विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस नाटक के केन्द्र बिंदु रहे। ऐसा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- हाल ही में तमिलनाडु में दिए गए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भाजपा नेता हंगामा कर रहे हैं कि खड़गे ने मोदी को ''आतंकवादी'' कहा है। भाजपा ने कहा कि खड़गे को देश से माफी मांगनी चाहिए।
- इससे पहले प.बंगाल में तृणमूल नेता ममता बनर्जी ने प्र.मंत्री को ''सबसे बड़ा घुसपैठिया'' कह दिया था, इस पर भी भारी बवाल मचा था और भाजपा ने इस पर उग्र विरोधी अभियान चलाया।

'सीजेआई सूर्यकांत 18 घंटे काम करते हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 अप्रैल। 19 अप्रैल को, मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बैंच के लिए नए अतिरिक्त न्यायालय भवन और गेस्ट हाउस का उद्घाटन मदुरै जिला न्यायालय में किया गया। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ न्यायाधीशों ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुंदरेश ने यह बात मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बैंच के नए अतिरिक्त भवन के उद्घाटन समारोह में कही। कार्यक्रम में सीजेआई सूर्यकांत भी थे। जस्टिस सुंदरेश बता रहे थे कि जज का जीवन कितना व्यस्त होता है।

ईरान युद्ध में गतिरोध जारी, अभी तक वार्ता स्थगित है

दोनों तरफ से बस धमकियों का आदान-प्रदान हो रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21अप्रैल। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिर से शुरू करने का प्रयास पश्चिम एशियाई खाड़ी के किनारों पर फंस गया है।

स्पष्ट गतिरोध दिखाई दे रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से बमबारी फिर से शुरू करने की धमकी शामिल है। स्थिति को और ज्यादा जटिल यह स्थिति बनाती है कि अमेरिकी मरीन ईरानी जहाजों पर चढ़ गए और उन्हें उच्च समुद्र में ही जब्त कर लिया। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि यदि अमेरिका जमीनी लड़ाई में उतरता है, तो उसके सेनानी पूरी तरह से सशस्त्र हैं और युद्ध के लिए तैयार हैं।

इस मौजूदा गतिरोध के पीछे दो मूलभूत मुद्दे हैं, पहला, होर्मुज़ स्ट्रेट की पूर्व स्थिति की बहाली, यानी इसे एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में मान्यता देना, जिस पर किसी देश का कोई विशेष अधिकार न हो, और दूसरा, बड़ी मात्रा में समृद्ध यूरेनियम का निपटान, जो कथित रूप से किसी पहाड़ी गुफा में छिपा हुआ है।

इसलिए, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता फिलहाल स्थगित लग रही है, जबकि अमेरिकी टीम, जो नामित और तैयार है, वॉशिंगटन में रुकी हुई है। अमेरिका ने बार-बार कहा है कि एक टीम, जिसका उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस फिर से नेतृत्व कर रहे हैं, इस्लामाबाद के लिए रवाना होने के लिए तैयार है।

इसी बीच, ईरान ने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि होर्मुज़ स्ट्रेट पर अमेरिका की नाकेबंदी और ईरान से जुड़े जहाजों पर कब्जा करना जारी है।

अमेरिका ने सोमवार को एक और ईरानी जहाज जब्त किया, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने चीन से आने वाले उपहारों से भरा बताया। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पहले रिपोर्ट किया था कि चीन ईरान को महत्वपूर्ण उपकरण और निगरानी उपकरण भेज रहा था।

चीन ने इन आपूर्तियों का खंडन किया है, लेकिन ईरान द्वारा अमेरिकी संपत्तियों पर सटीक हमले किसी भी प्रकार की खुफिया साझेदारी और विशेष उपकरण की मौजूदगी की ओर संकेत

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- अमेरिका ने ईरान के दो जहाजों को एक ओमान की खाड़ी और दूसरा हिन्द महासागर पर बंदी बना लिया है।
- ट्रंप ने प्रैस कॉन्फ्रैंस में कहा, एक जहाज पर वो सामान था जो चीन, ईरान को बतौर सौगात भेज रहा था। ट्रंप ने चीन को भी धमकी दी कि वो दिक्कत में फंस जाएगा। पहले भी ट्रंप ने चीन पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अगर, चीन ने ईरान को युद्ध की सामग्री दी।
- यह भी माना जा रहा है कि अमेरिका व ईरान के बीच सीज़फायर की अवधि अब बुधवार को पूरी हो रही है तथा दोनों देश युद्धविराम की अवधि बढ़ाने के लिए वार्ता पुनः शुरु हो, उसके पहले अपनी-अपनी तलवारें खड़खड़ा रहे हैं तथा ईरान ने भी कहा कि उसके जांबाज़ युद्ध पुनः शुरु करने को लालायित हैं।

'महिला की ''आउट ऑफ टर्न'' सुनवाई की जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21अप्रैल। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में गठित एक अपीलीय न्यायाधिकरण से अनुरोध किया कि वह उस महिला की विशेष (आउट-ऑफ-टर्न) सुनवाई प्रदान करे, जो एसआईआर प्रक्रिया के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सुप्रीम कोर्ट ने प.बंगाल की एक महिला के सम्बंध में एपेलैट ट्रिब्यूनल को यह निर्देश दिया। ज्ञातव्य है कि आधार व पासपोर्ट होने के बाद भी एसआईआर प्रक्रिया में मतदाता सूची से उक्त महिला को बाहर कर दिया गया था।

हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 42 बीघा भूमि विवाद में एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाई

अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जयपुर विकास प्राधिकरण सहित अन्य से जवाब मांगा

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 21 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 9 अप्रैल के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें एकलपीठ ने जयपुर में बी-टू-बाईपास पर स्थित 42 बीघा जमीन को आवासन मंडल की मानते हुए 31 जुलाई, 1981 के समझौता विक्रय को अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था। अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और जेडीए सहित अन्य से जवाब मांगा है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश मंगलवार को श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत में आवासन मंडल की ओर से कैविएटर के तौर पर अधिवक्ता दिनेश यादव मौजूद रहे, जबकि श्रीराम कॉलोनी-बी विकास समिति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा और उनके सहयोगी आशीष शर्मा पैरवी के लिए उपस्थित हुए।

श्रीराम कॉलोनी की ओर से दायर अपील में सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा और आशीष शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 9 अप्रैल को उन मुद्दों पर पुनः निर्णय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही तय किए जा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान आवासन मंडल ने अपीलार्थी पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को भी पूर्व में ही न्यायिक कार्यवाहियों में खारिज किया जा चुका है।

वरिष्ठ अधिवक्ता कमलाकर शर्मा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 31 जुलाई 1981 के विक्रय समझौतों को शून्य घोषित करना, वहां गत करीब 4 दशक से रह रहे 200 परिवारों के साथ अन्याय है। ऐसे में एकलपीठ के आदेश को रद्द किया जाए। याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित पक्षकारों से जवाब तलब किया है।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने गत 9 अप्रैल को अपने आदेश में जेडीए की ओर से 29 मई, 1995 को इस 42 बीघा जमीन पर दी गई योजना स्वीकृति और उसके बाद के आदेशों को अवैध मानते हुए कहा था कि समझौता विक्रय से स्वामित्व हस्तांतरित नहीं होता है। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि ''धोखाधड़ी से प्राप्त कोई भी आदेश अंतिम हो तो भी वह अवैध ही होता है। 12 फरवरी, 2002 को एकलपीठ से गलत तथ्यों से आदेश प्राप्त किया गया था, ऐसे में उसे रद्द किया जाता है। एकलपीठ ने वर्ष 1986 की ऑडिट रिपोर्ट और 25 जुलाई, 2019 की जांच समिति रिपोर्ट के आधार पर माना कि अधिग्रहण से पूर्व ऐसी कोई योजना अस्तित्व में ही नहीं थी और समिति ने मूल खातेदारों को भी पक्षकार नहीं बनाया। अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि खातेदार सिविल कोर्ट में जमा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- ज्ञात रहे कि जयपुर में बी-टू-बाईपास पर 2200 करोड़ रुपए की उक्त बेशकीमती जमीन पर पिछले दिनों हाईकोर्ट की एकलपीठ ने हाऊसिंग बोर्ड का मालिकाना हक माना था।
- अब खंडपीठ ने एकलपीठ के गत 9 अप्रैल के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें इस 42 बीघा जमीन को आवासन मंडल की मानते हुए 31 जुलाई, 1981 के समझौता विक्रय को अवैध मानते हुए शून्य घोषित कर दिया था।
- श्रीराम कॉलोनी की ओर से दायर अपील में सीनियर एडवोकेट कमलाकर शर्मा और आशीष शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उन मुद्दों पर पुनः निर्णय दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले ही तय किए जा चुके हैं। आवासन मंडल ने अपीलार्थी पर धोखाधड़ी के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को भी पूर्व में ही न्यायिक कार्यवाहियों में खारिज किया जा चुका है।

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 21 अप्रैल। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर प्रथम ने घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त आकाश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठासीन अधिकारी दीक्षा सूद ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग पीड़िता के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया है। इससे वह न केवल शारीरिक, बल्कि मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हुई है। ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- इस घटना की रिपोर्ट मानसरोवर थाने में अक्टूबर 2023 को हुई थी।